पत्रांक–1 प्रा0आ0–17 / 2011 3087 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार
संयुक्त सचिव।

सेवा,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक– 19/8/16

विषय– "सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" में संशोधन के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 3050 / आ0प्र0 दिनांक 13.08.2015

महाशय,

निदेशानुसार कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए, जिसके द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुखाड़ की स्थिति से निपटने हेतु "सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" भेजी गई थी। स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों को मात्र अनुशंसात्मक (Recommendatory) घोषित किये जानें के आलोक में सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अध्याय 7 एवं 8 में सम्यक विचारोपरांत आवश्यक संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तदनुसार संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया विभागीय Web Site - http://disastermgmt.bih.nic.in/ पर अपलोड कर दी गई है।

विश्वासभाजन
19/8/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

अनुलग्नकः यथोक्त।

C:\Users\Administrator\Desktop\Letter to SDRF (date-12.08.15).doc

7. सुखाड़ घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण

यदि रोपनी की अवधि में बिलकुल वर्षा न हो अथवा खरीफ फसलों का आच्छादन तथा वर्षापात की स्थिति चिन्तनीय हो जाए तो सरकार द्वारा विभिन्न संकेतांकों का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन प्रायः 15 अगस्त तक किया जाता है। अतएव उक्त तिथि के आस–पास आच्छादन/ वर्षापात के आंकड़ों के विश्लेषण के आलोक में आवश्यकतानुसार सुखाड़ की घोषणा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष उपस्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

सुखाड़ की घोषणा के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में संकेतांकों का उल्लेख किया गया है। इन संकेतांकों में निम्न चार संकेतांक प्रमुख हैं:–

- जून एवं जुलाई माह में औसत से 50% कम वर्षापात
- जुलाई–अगस्त माह में 50% से कम आच्छादन
- वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index)
- नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index)

इनके अतिरिक्त सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में कतिपय अन्य कारकों पर विचार करने का परामर्श राज्य सरकारों को दिया गया है :–

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों का रोजगार की खोज में असमान्य गतिविधि
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

वर्षापात के आंकडे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, बिहार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। बिचड़ों के डालने की स्थिति तथा फसलों की रोपनी एवं आच्छादन के संबंध में कृषि विभाग, बिहार के द्वारा आकडे उपलब्ध कराया जाते हैं। वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index) तथा नमी पर्याप्तता सकेतांक (Moisture Adequacy Index) के आंकड़े National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) instituted by National Remote Sensing

Centre (NRSC) के माध्यम से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, कृषि विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक–Do No.16/9/2015-DMI दिनांक–22.06.2016 सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में जो भी संकेतांक एवं आधार दिये गये हैं, वे अनुशंसात्मक हैं, राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें अंकित है कि वर्षापात, फसलों का आच्छादन, वानस्पतिक संकेतांक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक, तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण आधार हैं जिनपर सुखाड़ की घोषणा के पूर्व राज्यों को विचार करना चाहिए। परन्तु राज्य सुखाड़ से जुड़े सभी पहलुओं पर समेकित रूप से विचार करते हुए, जिसमें राज्य की स्थानीय स्थिति का आधार भी शामिल है, सुखाड़ घोषित करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थितियों के मद्देनजर सुखाड़ की घोषणा निम्न आधार एवं प्रकिया के अनुरूप की जाएगी :–

I **<u>सुखाड़ घोषित करने की इकाई</u>** : किसी जिले अथवा प्रखण्ड की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार सम्पूर्ण जिले अथवा प्रखण्ड में सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले सकती है। ज्ञातव्य हो कि स्वराज अभियान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रखण्ड स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण कर निर्णय लेने का निदेष दिया है।

II **सुखाड़ घोषित करने का आधार :**

(i) <u>वर्षापात</u> : राज्य की मुख्य खरीफ फसल धान है। कतिपय जिलों में मक्के की बुआई भी बड़े भू–भाग पर की जाती है। धान की बुआई प्रायः 15 अगस्त तक किसान करते हैं। चूँकि राज्य में मॉनसून का आगमन 10 जून के आसपास होता है, अतएव किसान प्रायः मॉनसून के आगमन के साथ परम्परागत नक्षत्रों में खेतों में धान का बीचड़ा लगाते हैं ताकि वें, जहाँ तक संभव हो, जुलाई माह में ही रोपनी का कार्य पूरा कर लें। अतएव यदि जून से 15 अगस्त के बीच वर्षापात में 40% अथवा उससे अधिक की कमी हो तो इसे सुखाड़ का आधार बनाया जा सकता है। यह सुखाड़ की घोषणा का पहला एवं स्वतंत्र आधार हो सकता है।

(ii) खरीफ फसलों का आच्छादन : यह देखा गया है कि राज्य में वर्षा अनियमित रूप से होती है, अर्थात् मॉनसून के आगमन के बाद कभी हफ्तों तक वर्षा नहीं होती और सहसा किसी दिन काफी वर्षा हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाता। यह भी देखा गया है कि एक ही जिले के कुछ भागों में अच्छी वर्षा हो गयी एवं शेष भाग में अल्प वर्षापात हुआ है। ऐसा होने से वर्षापात का आंकड़ा जमीनी हकीकत को

प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता। अतएव सुखाड़ की घोषणा का दूसरा एवं स्वतंत्र आधार खरीफ फसल (धान एवं मक्का) का आच्छादन माना जा सकता है। यदि खरीफ फसलों का आच्छादन 15 अगस्त तक 50% से कम हो तो इसे सुखाड़ घोषित करने का आधार माना जा सकता है।

(iii) जहाँ तक वानस्पतिक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक का प्रश्न है, ये संकेतांक भारत सरकार के माध्यम से कृषि विभाग को प्राप्त होने चाहिएं परन्तु देखा गया है कि ये संकेतांक यथा समय भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो पाते अतएव इन संकेतांकों पर विचार करने की आवष्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(iv) अन्य आधार : जून से 15 अगस्त के बीच में वर्षापात में 40% अथवा उससे अधिक की कमी अथवा 15 अगस्त तक खरीफ फसल आच्छादन में 50% अथवा उससे अधिक की कमी के दो स्वतंत्र आधारों के साथ निम्न आधारों पर भी समेकित रूप से विचार किया जा सकता है –

(1) मॉनसून के आगमन में देरी अथवा मॉनसून के कमजोर रहने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
(2) वर्षा की कमी के कारण भूजल एवं सतही जलस्रोतों के स्तर में कमी
(3) वर्षापात में कमी के कारण फसलों का सूखना/मुरझाना (wilting)
(4) वर्षापात की कमी के कारण धान के खेतों में नमी का कम होना
(5) मॉनसून की समय पूर्व वापसी

यदि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून अवधि में बिलकुल ही वर्षा न हो, तो उपरोक्त संकेतांकों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती एवं राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर सुखाड की घोषणा करेगी।

8. सुखाड़ की घोषणा

दक्षिण–पश्चिमी मानसून अवधि में 15 अगस्त के बाद अध्याय 7 में उल्लिखित स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। सुखाड़ की घोषणा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारियों से उनके जिलों/प्रखण्डों में खरीफ फसलों के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलो के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जिलो/प्रखण्डों की जमीनी हकीकत का पता लगा सकती है तथा सुखाड़ घोषित करने के संबंध में उनकी अनुशंसा प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार यथानुसार सर्वदलीय बैठकों/ जिला के प्रभारी माननीय मंत्रीगण के माध्यम से भी जिलों/ प्रखण्डों की जमीनी हकीकत की सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है एवं उन सूचनाओं पर सम्यक रूप से विचार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक् विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर अनुशंसा करेगा। तत्पश्चात् कृषि विभाग के द्वारा विधिवत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रि परिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागों से प्राप्त क्षति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरैण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। यदि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों / जिला पदाधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान समन्वय का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।